



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2019/वैशाख 9, 1941

No. 280]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2019/VAISAKHA 9, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 337(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम (संशोधन) 2019 हैं।

(2) ये 14 नवंबर, 2018 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) के पद के सामने स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:-

“लागू नहीं”

[फा.सं. I-12013/03/2015-संगठन (खंड-3)]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1112(अ) दिनांक 14 नवंबर, 2018 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव होने से, किसी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं।

3C IT cell

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2019

**G.S.R. 337(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 14<sup>th</sup> November, 2018.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2018, in the schedule, against the post of Assistant Commandant (Telecommunication), in column (13), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Not applicable".

[F. No. I.12013/03/2015-Org(Vol-3)]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.1112(E) dated the 14th November, 2018. It is certified that by giving retrospective effect to these rules, no one is likely to be adversely affected.

SO (EDP)